

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला - मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला - गैन मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

### संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 30.10.2009 एवं 31.10.2009 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मोहन प्रसाद मैखुरी राजस्व विभाग की ओर से श्री ..... जयन्त सिंह रावत ..... प्रस्तावक विभाग की ओर से कु0 रजनी जोशी द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.78 हे०, प्रस्तावित आरक्षित/वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। किसी व्यक्ति विशेष/ग्रामवासियों की किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उसकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है) 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि ली गयी है, जिसमें मार्ग का निर्माण हेतु 6 मीटर चौड़ाई में ही वृक्षों का पातन किया जायेगा। मार्ग निर्माण हेतु 3.78 हे० (एक एकड़) प्रयोजन हेतु 0.22 हे० कुल 4.00 हे० का प्रस्ताव जादित है।

M. D. Singh  
अमीन

[Signature]  
कनिष्ठ अभियन्ता

[Signature]  
सहायक अभियन्ता

[Signature]  
अधिकांसी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

[Signature]  
पटवारी क्षेत्र  
चमोली

[Signature]  
तहसीलदार  
कर्मप्रयाग

[Signature]  
उपजिलाधिकारी  
कर्मप्रयाग

जिलाधिकारी  
चमोली

[Signature]  
वन क्षेत्राधिकारी  
नन्दप्रयाग रेंज  
बदी० व० प्रभाग

[Signature]  
उप प्रभाग वनाधिकारी  
चमोली उप-वन प्रभाग  
गोपेश्वर (चमोली)

प्रतिहस्ताक्षरित

[Signature]  
उप वन संरक्षक  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रतिहस्ताक्षरित

[Signature]  
जिलाधिकारी  
चमोली

**SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF**

**(For the forest land to be diverted, under FCA)**

A proposal has been received by this आदिशरीर आदिमाना अरुई २००५ लेनी वि.  
गौधर for diversion under FCA-1980) of ३.७८०/२४ ha. on forest  
land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction  
of अमरपट्ट चमोली के आन्तरिक होमवा लाउण्ड्री मोटर मार्ग से लांचवा ग्रीन मार्ग  
निर्माण हेतु the site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-  
४-५-११

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is RF/PF/un-  
classified/Protected forest measuring ३.७८० ha,

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.-2 part-1 is unavoidable  
and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. If, so the  
details there of :- N.A

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other  
important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from  
competent authority, if required:-

- ✓ a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980  
and no work has been started without proper sanction.
- ✗ b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation). Act,  
1980 provision. A details report as per para 1.9 of chapter-1 para C of Handbook of  
forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of proposal.

(Signature)

Place:- Chopeshwar  
Date:- ४-५-११

Name रुष वन प्रभु  
Designation अधीन वन प्रभाग  
Office Seal अधीन वन प्रभाग

N.B.

- x- state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
- xx- out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which  
is not applicable.

As per letter number 2-2/200 FC dated 16-10-200 from Ministry of Environment & Forest,  
Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site  
inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hecrares of  
forest land site inspection report from the conservation of forests is required.